राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 24 ( ) लेखा / एसपीपीपी / सूचना / आकाशि / 2019 / दिनांक :

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान

विषयः– आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 के अंतर्गत उपापन के सम्बन्ध में सभी अभिलेख संधारित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7(5)वित्त / एसपीएफसी / 2013 दिनांक 12.05.2020 एवं दि0 11.05.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार आपके द्वारा किये जाने वाले समस्त उपापनों के सम्बन्ध में आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. Rules 2013 के अंतर्गत सभी वांछित अभिलेखों का पूर्ण संधारण तथा प्रतिधारण किया जाना आवश्यक है। उपापन संस्थाओं द्वारा अभिलेखों का पूर्णतः संधारण नहीं किया जाना नियमों के गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

अतः समस्त राजकीय महाविद्यालयों द्वारा वित्त विभाग के परिपत्रानुसार ही उपापन की कार्यवाही सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न : वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 12.05.2020 एवं दि0 11.05.2020

Sd-
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

क्रमांक : एफ 24 ( ) लेखा / एसपीपीपी / सूचना / आकाशि / 2019 / 3649-3651 दिनांक : 01/06/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
03. वेबसाइट प्रभारी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

राजस्थान सरकार
वित्त(एस.पी.एफ.सी) विभाग

क्रमांकः एफ 7(5)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 दिनांक 11.05.2020

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.09.2016 के द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को RTPP Act, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपापन से सम्बन्धित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं/आदेशों का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक रूप से किये जाने बाबत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

परन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा अभी तक भी पोर्टल पर केवल बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) का ही प्रकाशन किया जा रहा है तथा उपापन से सम्बन्धित अन्य समस्त आवश्यक सूचनाओं/आदेशों का पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है, जो कि गम्भीर विषय है।

इस सम्बन्ध में एतद् द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को पुनः निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे RTPP Act, 2012 की धारा 17 के अनुसार उपापन से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनाएं राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर आवश्यक रूप से प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करावें:—

1. पूर्व—अर्हता दस्तावेज, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली—पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हो, और उसके शुद्धि—पत्र,
2. पूर्व—अर्हता या, यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वालों की सूची, जिन्होंने बोली लगायी है,
3. पूर्व—अर्ह और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची,
4. धारा 25 के अधीन, कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची,
5. धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय,
6. सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा,

7. बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया हैं, कि विशिष्टयां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्रवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि,
8. कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाये।
9. एवं उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित अन्य आदेश.

कतिपय प्रकरणों में यह भी देखा गया है कि जिन मामलों में ई–बोली आंमत्रित की जाती है, उनमें उपापन संस्थाओं द्वारा केवल ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ही बिड एवं तत्पश्चात आवश्यक दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाता है परन्तु राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर नहीं। RTPP Act, 2012 के अनुसार राशि रूपये 1.00 लाख या इसे अधिक के उपापन के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित पूर्ण कार्यवाही का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किया जाना बाध्यकारी है।

इसी प्रकार इस विभाग के परिपत्र कमांक एफ1(8) जी एण्ड टी/2014 दिनांक 24.07.2014 के अनुसार नोडल अधिकारी के कर्तव्यों में अन्य कार्यो के साथ–साथ उनके विभाग के अधीन समस्त उपापन संस्थाओं द्वारा इस अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत प्रावधित समस्त वांछित दस्तावेजों की राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रत्येक छःमाही (15 अप्रेल एवं 15 अक्टूबर प्रेष्य) भिजवाने बाबत निर्देशत किया गया है। परन्तु अधिकांश विभागाध्यक्षों/उपापन संस्थाओं द्वारा उक्त प्रमाण पत्र इस विभाग को प्रेषित किये जाने का अभाव पाया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः निर्देश प्रदान किये जाते है कि समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ उपापन संस्थाओं के बाबत उक्त प्रमाण पत्र नोडल अधिकारियों के माध्यम से ***cao.spfc@rajasthan.gov.in*** पर निर्धारित समय (15 अप्रेल एवं 15 अक्टूबर) पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें।

RTPP Act, 2012 एवं RTPP नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रावधान समस्त अपेक्षित सूचनाओं का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर नहीं किया जाना RTPP Act, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों के **गंभीर उल्लंघन** की श्रेणी में आता है, जिसके लिए सम्बन्धित उपापन संस्था के उत्तरदायी अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही के अतिरिक्त इस अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत प्रावधित शाक्तियों से दंडित करने की कार्यवाही सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अविलम्ब संपादित की जावें।

उपापन संस्थाओं के अधीन पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा/अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों/कार्मिको का उक्त प्रावधानों की अनुपालना का प्राथमिक दायित्व होगा।

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावें।

11/5/20

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव
वित्त(बजट) विभाग

क्रमांकः एफ 7(5)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 **दिनांक** 11-05.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1.निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2.निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
3.सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4.सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6.रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7.समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8.संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को उनके अधीनस्थ अंकेक्षण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ।
9. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
10. प्रधान महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यक लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. तकनीकी निदेशक (computer cell), वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

11/5/2020

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

राजस्थान सरकार
वित्त (एस.पी.एफ.सी) विभाग

क्रमांकः एफ 7(5)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 **दिनांक** 12.05.2020

परिपत्र

RTPP Act, 2012 की धारा–10 के अन्तर्गत सभी उपापन संस्थाओं हेतु उनके किये जाने वाले उपापनों के सम्बन्ध में निम्नांकित अभिलेख संधारित किये जाने का प्रावधान किया गया हैः–

(1) उपापन संस्था अपनी उपापन कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 5 के अधीन उपापन की आवश्यकता के अवधारण से सम्बन्धित दस्तावेज;
(ख) धारा 12 के अधीन उपापन की विषय वस्तु का वर्णन;
(ग) धारा 29 की उप–धारा (4) के अधीन खुली प्रतियोगी बोली से भिन्न किसी उपापन की पद्धति के चुनाव के लिए कारण का कथन;
(घ) भाग ले रहे बोली लगाने वालों की विशिष्टियां;
(ड.) बोली–पूर्व सम्मेलनों के दौरान सहित स्पष्टीकरणों के लिए अनुरोध और उनके कोई भी प्रत्युत्तर;
(च) बोली की कीमतें और अन्य वित्तीय निबंधन;
(छ) बोलियों के मूल्यांकन का सारांश;
(ज) धारा 38 के अधीन किसी अपील के ब्यौरे, और उनसे सम्बन्धित विनिश्चय;
(झ) कोई भी अन्य सूचना या अभिलेख, जैसा विहित किया जाये।

(2) धारा 38 के अधीन अपीलों के सम्बन्ध में या किसी बैठक के अनुक्रम सहित किसी उपापन के अनुक्रम में तैयार किये गये या उपापन प्रक्रिया के अभिलेख का भाग कोई दस्तावेज, अधिसूचना, विनिश्चय या कोई अन्य सूचना ऐसे किसी रूप में होगी, जो सूचना की अन्तर्वस्तु का अभिलेख उपलब्ध कराती हो और सुगम हो, ताकि पश्चात्वर्ती निर्देश के लिए उपयोग किये जाने योग्य हो।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) या अभिलेखों के प्रतिधारण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अध्यधीन, उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया या, यथास्थिति, उपापन संविदा के अवसान के पश्चात् किसी युक्तियुक्त कालावधि के लिए उप–धारा (1) और (2) में उपदर्शित दस्तावेजी अभिलेख को प्रतिधारित करेगी ताकि लेखापरीक्षा या ऐसे अन्य पुनर्विलोकन को समर्थ बनाये।

इसी प्रकार RTPP नियम 2013 के नियम 79 के अन्तर्गत भी उपापन के सम्बन्ध में उपरोक्त धारा 10 में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त निम्नांकित दस्तावेजी अभिलेख उपापन संस्था को संधारण हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है:–

(क) बोली की कीमत सहित बोली लगाने वालों के नाम और पते और यदि बोली सशर्त है तो बोली की शर्तें;

(ख) उस कीमत सहित, जिस पर उपापन किया गया है, सफल बोली लगाने वाले का नाम और पता;

(ग) दर संविदा पद्धति के मामले में, उन बोली लगाने वालों के नाम और पते, जिनके साथ दर संविदा की गयी है;

(घ) बोली दस्तावेजों में किये गये उपातंरणों, यदि कोई हो, का सारांश;

(ङ.) अपेक्षित अर्हता, अर्हता रखने वाले बोली लगाने वालों के ब्यौरे और कारणों सहित, अर्हित या अनर्हित बोली लगाने वालों के ब्यौरें;

(च) जहां कोई लिखित उपापन संविदा निष्पादित की गयी है, वहां दर संविदा को सम्मिलित करते हुए, संविदा की प्रति;

(छ) पैनलीकरण के मामले में, पैनलीकरण के निबंधन और शर्तें और करार, यदि कोई हो, की प्रति;

(ज) बोलियों के मूल्यांकन और तुलना का सांराश, लागू अधिमान की किसी सीमा सहित और किसी बोली को खारिज करने या विचार नहीं करने के कारणों, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए,

(झ) यदि उपापन प्रक्रिया रद्द की जाती है तो रद्दकरण के कारण।

परन्तु प्राय: यह देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा उपरोक्त अभिलेखों का पूर्णत: संधारण नहीं किया जा रहा है, जो कि उक्त अधिनियम/नियमों के **गंभीर उल्लंघन** की श्रेणी में आता है। उपापन संस्थाओं का यह कृत्य विभिन्न स्तरों पर अंकेक्षण आक्षेपों के गठन का कारण बनता है तथा प्रचलित व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी को भी प्रदर्शित करता है।

अत: समस्त उपापन संस्थाओं को एतद् निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त अधिनियम/नियमों की अनुपालना के दृष्टिगत समस्त वांछित अभिलेखों का आवश्यक रूप से संधारण किया जाना सुनिश्चित करावे।

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे।

12/5/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

क्रमांकः एफ 7(5)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 **दिनांक** 12.05.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को उनके अधीनस्थ अंकेक्षण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ।
9. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
10. प्रधान महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यक लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. तकनीकी निदेशक (computer cell), वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जी एण्ड टी) विभाग